

08-07-2024

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत से 2018-19 से रात्र 2023-24 तक एक ही आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसे उच्च स्तर पर अग्रेसित कर दिया गया था। अतः महाविद्यालय स्तर पर इस संबंध में कोई भी प्रकरण लम्बित नहीं होने के कारण किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी है।


प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय श्रीकरणपुर